

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1607

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण उपाय

1607. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुजफ्फरनगर और बिजनौर की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर और बिजनौर क्षेत्र में एक नए कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर एपीसी) को स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों के किसानों को उन्नत बीज और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के तहत कोई नई प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का गन्ने की कटाई के लिए आधुनिक हार्वेस्टर और तकनीकी उपकरणों पर लघु और सीमांत किसानों को विशेष रियायतें/राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में बागवानी और तिलहन फसलों के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन पैकेज को लागू करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा क्लस्टर अप्रोच के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में देशभर में कृषि प्रसंस्करण समूहों (एपीसी) हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता सामान्य क्षेत्रों में तथा पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्तराखंड) सहित दुर्गम क्षेत्रों, अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों तथा द्वीपों में अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन प्रदान की जाती है। एपीसी योजना की प्रकृति मांग-आधारित है, जिसके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई) के लिए संभावित निवेशकों/उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब तक, उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में एपीसी योजना के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत मुजफ्फरनगर जिले में 50 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन अथवा स्थापना हेतु ऋण-संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी, वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत परियोजना लागत पर 35% सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख तक) दी जाती है, यह एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पर केंद्रित है जिसमें 10% लाभार्थी अंशदान की आवश्यकता होती है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देशभर में किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा पोषक तत्व संबंधी अनुशंसाओं के प्रसार हेतु सहायता के माध्यम से संतुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित एवं सुदृढ़ की जाती हैं। किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) तथा अन्य फसल विकास कार्यक्रमों जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिलों के किसान भी उत्तर प्रदेश राज्य हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार इन लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग): सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के वितरण, कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी), फार्म मशीनरी बैंकों तथा हाई-टेक हब की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों तथा राज्य हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार छोटे एवं सीमांत किसानों सहित पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, एसएमएएम योजना के अंतर्गत किसानों को गन्ना कटाई हेतु 50% सब्सिडी पर शुगरकेन कटर प्लांटर, शुगरकेन ट्रैश कटर, ट्रैक्टर-माउंटेड शुगरकेन हार्वेस्टर तथा अन्य विशिष्ट कृषि मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। हार्वेस्टरों को केवल सीएचसी के माध्यम से ही बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मैपर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एसएमएएम के अंतर्गत मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिलों में क्रमशः कुल 74 एवं 22 सीएचसी स्थापित किए गए हैं।

(घ): सरकार द्वारा समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) जैसी योजनाओं के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के एक भाग के रूप में क्षेत्र विस्तार, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, समेकित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षमता निर्माण तथा अन्य हस्तक्षेपों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति की सूचना दी गई है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वयन हेतु कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के अंतर्गत 357.29 करोड़ रुपये, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के अंतर्गत 26.87 करोड़ रुपये, फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 43.75 करोड़ रुपये, एनएफएसएनएम के अंतर्गत 106 करोड़ रुपये, एमआईडीएच के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये, एनएमईओ-ओएस के अंतर्गत 64.06 करोड़ रुपये तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 97.18 करोड़ रुपये की परियोजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बागवानी फसलों के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को विभिन्न घटकों हेतु 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
